

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

K.T.S Case No.- 03/2013-14

Juria Kalundia

V/s

Dubga Kalundia & Ors.

आदेश

यह वाद दिनांक- 21.05.2023 को वादी जुरिया कालुंडिया (हो), पिता- स्व० मानकी कालुंडिया, निवासी ग्राम- टेकराहातु, पो०ओ०- सिंहपोखरिया, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा दायर वाद पत्र के Schedule "A" में वर्णित भूमि का Declaration of the right, title and interest के लिए प्रतिवादी डुबगा कालुंडिया, पिता- स्व० द्रुमरू कालुंडिया, निवासी ग्राम- टेकराहातु, पो०ओ०- सिंहपोखरिया, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम एवं 04 अन्य के विरुद्ध दाखिल किया गया है। इस वाद में वादी या उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक- 09.11.2022 से कोई पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि वादी या उनके अधिवक्ता को वाद भूमि में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त परिस्थिति में वादी को वाद भूमि में अभिरुचि नहीं रहने के कारण इस वाद को खारिज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।

lip
14-09-23

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

lip
14-09-23

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।